भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2231
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पंजाब में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना

2231. **श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण तक उसके जीवन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त राज्य के कुछ जिलों में कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात में गिरावट तथा बालिकाओं की शिक्षा में असमानता अब भी गंभीर चिंता के विषय बने हुए हैं, यदि हाँ, तो वहां जिला-वार किए गए विशिष्ट हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल लिंगानुपात (सीएसआर) तथा बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता करती है। यह योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य

लिंग आधारित गर्भ चयन को रोकना, बालिकाओं का अस्तित्व एवं संरक्षण सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार किया गया है ताकि बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल किया जा सके जिससे बुनियादी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को बढ़ावा मिल सके। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज एवं व्यापक पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच में व्यावहारिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के समग्र कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 2014-15 में 918 से बढ़कर 2025-26 में 929 (अनंतिम) हो गया है। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार हुआ है तथा यह 2014-15 में 892 से बढ़कर 2025-26 में 922 (अनंतिम) हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 83.4 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, पंजाब में विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 83.21 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 96.5 प्रतिशत हो गया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा एक प्रचालन नियमावली तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक विषयगत कैलेंडर भी सम्मिलित है। इस कैलेंडर में बालिकाओं के समग्र विकास हेतु माह-वार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने सहित सुझाए गए समन्वय कार्यकलाप शामिल हैं, जिसका उद्देश्य बालिकाओं, उनके परिवारों एवं समुदायों की वर्ष भर सहभागिता

सुनिश्चित करना है। इस संबंध में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं।

पंजाब में बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए गांव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। साथ ही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैलेंडर के अनुसार भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पंजाब के सभी 23 जिलों में प्रतिवर्ष विशेष महिला रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न कंपनियों द्वारा पात्र महिला अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विद्यालयों में बालिकाओं में रक्ताल्पता की शीघ्र पहचान तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बालिकाओं के लिए निःशुल्क रक्ताल्पता जांच शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। कौशल विकास पहलों के अंतर्गत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंजाब में जरूरतमंद बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए निःशुल्क ड्राइविंग, पाक-कला, कंप्यूटर एवं सिलाई प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा, पंजाब में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल विभागों के साथ समन्वय कर जागरूकता गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब में बालिकाओं के जन्म पर प्रत्येक वर्ष राज्य एवं जिला स्तर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है।
